हफ़्तावार रिसाला : 399
Weekly Booklet : 399

Talba Ke Baare Me 18 Suwal Jawab (Hindi)

अमीरे अहले सुन्नत دامت برکاتہم العالیہ के मल्फ़ूज़ात का तहरीरी गुलदस्ता

तृलबा के बारे में 18 सुवाल जवाब

सफ़हात : 19

सोशल मीडिया का इस्ति'माल 01
दूसरों की चीज़ इस्ति'माल करना 06
क्या दौराने ता'लीम कोई हुनर सीखना चाहिये ? 09
बच्चों को सज़ा किस हद तक दी जाए ? 18

शैख़े तृरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी, हज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल
मुहम्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

त़लबा के बारे में 18 सुवाल जवाब

दुआ़ए ख़लीफ़ए अमीरे अहले सुन्नत : या अल्लाह पाक ! जो कोई 19 सफ़ह़ात का रिसाला "अमीरे अहले सुन्नत से त़लबा के बारे में 18 सुवाल जवाब" पढ़ या सुन ले उसे इ़ल्मे दीन ह़ासिल करने और उस पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमा और उस की मां बाप समेत बे ह़िसाब मग़्फ़िरत फ़रमा ।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صلّی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلّم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

फ़रमाने आख़िरी नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **:** जिस ने दिन और रात में मेरी त़रफ़ शौक़ो मह़ब्बत की वज्ह से तीन तीन मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा, **अल्लाह** पाक पर ह़क़ है कि वोह उस के उस दिन और उस रात के गुनाह बख़्श दे ।

(معجم کبیر، 18/362، حدیث:928)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

सुवाल : क्या सोशल मीडिया का इस्ति'माल त़लबा का रिज़ल्ट (Result) मुतअस्सिर कर रहा है ?

जवाब : सोशल मीडिया का इस्ति'माल सिर्फ़ त़लबा को नहीं बल्कि असातिज़ा, मां बाप और औलाद को भी मुतअस्सिर कर रहा है । बेटा मोबाइल ले कर सोशल मीडिया पर लगा हुवा है और मां बेचारी घन्टे से खड़ी चिल्ला रही है कि "दही ले आओ ! मेरे सर में दर्द हो रहा है, फुलां Tablet (गोली) ले आओ !" लेकिन बेटा सोशल मीडिया में मसरूफ़ है और उसे पता भी नहीं है कि मां बुला रही है । येह International problem बन चुका है और ह़ालात अ़जीबो ग़रीब हो गए हैं । मैं एक मरतबा बैरूने मुल्क किसी हस्पताल में गया,

वहां का निज़ाम अच्छा माना जाता है लेकिन यक़ीन मानें ! Security guard मोबाइल फ़ोन ले कर बैठा हुवा था और ऐसा मगन था कि मैं आ जा रहा था लेकिन उसे कुछ ख़बर नहीं थी। सोशल मीडिया ने सब को मगन कर दिया है, इस की वज्ह से कितनी वारिदातें हो जाती होंगी, गार्ड को सोशल मीडिया में मसरूफ़ देख कर उस से अस्लहा छीन लिया जाता होगा, **अल्लाह** करीम आसानी फ़रमाए। जो सोशल मीडिया इस्ति'माल नहीं करता उसे इस की हिर्स नहीं करनी चाहिये और जो इस्ति'माल करता है उसे Limited (महदूद) और दीनी इस्ति'माल करना चाहिये, जैसे सोशल मीडिया पर दा'वते इस्लामी के Pages हैं, निगराने शूरा का, मेरा और दीगर उ़लमाए अहले सुन्नत के Pages हैं, हम लोग इस्लामी, दुन्यावी और तिब्बी मा'लूमात फ़राहम करने की कोशिश करते रहते हैं इस लिये इन Pages को देखें और इस का भी वक़्त मुक़र्रर कर लें, मसलन अ़स्र ता मग़रिब मैं ने सोशल मीडिया Use (या'नी इस्ति'माल) करना है, अ़स्र के बा'द अवरादो वज़ाइफ़ से फ़ारिग़ होने के बा'द कुछ देर के लिये इस्ति'माल करना है और मग़रिब की अज़ान से पहले बन्द कर के मस्जिद का रुख़ करना है, इस में आप की और वक़्त की बचत का बहुत इम्कान है, बार बार सोशल मीडिया देखेंगे तो फ़ुज़ूल चीज़ों में लग जाएंगे मसलन कभी देखेंगे कि "कोई Clip तो नहीं आया ? या कुछ हुवा तो नहीं ? दुन्या में क्या हो रहा है ? फ़ुलां जगह सुना था कि कुछ हुवा है !" वग़ैरा, ऐसा नहीं करना। Limited इस्ति'माल करेंगे तो आप की बचत हो जाएगी वरना ह़ालात बहुत ख़राब हैं। दुन्या की अक्सर आबादी शायद सोशल मीडिया की User है, अरबों लोग इस का इस्ति'माल कर रहे हैं। **अल्लाह** करीम हमें सोशल मीडिया की आफ़ात से महफ़ूज़ फ़रमाए और हम सोशल मीडिया का ऐसा दुरुस्त और जाइज़ इस्ति'माल करें जिस से हमारे दीनो दुन्या के काम मुतअस्सिर न हों।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/36, 37)

सुवाल : PHD करने वालों को अपनी ता'लीम के दौरान मक़ाला लिखना होता है जिस को येह लोग "थेसिस" कहते हैं नीज़ इन को ज़िन्दगी में लिखना ही लिखना होता है, क्या इन्हें अपनी तह़रीर को किसी आ़शिक़े रसूल मुफ़्ती साह़िब से चेक करवाना चाहिये ?

जवाब : दर अस्ल मुश्किल येह है कि जिन लोगों का दुन्यावी स्टेटस बना होता है वोह उ़मूमन उ़लमाए किराम से दूर होते हैं। हो सकता है येह बेचारे सोचते हों कि मौलाना को हमारी बातें क्या समझ आएंगी ! येह तो मस्जिद की रोटियां तोड़ते हैं, ह़ालां कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ईमानदारी की बात बताता हूं कि आ़लिमे दीन ज़ियादा ज़हीन होता है और मुफ़्ती ज़हीनों का सरदार होता है या'नी बहुत ज़ियादा ज़हीन होता है। येह लोग आ़म तौ़र पर मुरव्वत और सादगी की वज्ह से इन दुन्यावी पढ़े लिखे लोगों से उलझते नहीं हैं लेकिन इस का हरगिज़ येह मत़लब नहीं कि उन को कुछ समझ नहीं आती। अगर किसी की ऐसी सोच न भी हो तो उसे येह वस्वसा आ सकता है कि "मौलाना को मेरा येह मक़ाला या आर्टीकल क्या समझ आएगा, ठीक है मौलाना अच्छे हैं, मैं जुमुआ़ की नमाज़ इन्ही के पीछे पढ़ता हूं, येह तक़रीर भी अच्छी करते हैं और मसाइल भी बयान करते हैं मगर मेरा आर्टीकल येह नहीं समझ सकेंगे।" ह़ालां कि येह ज़रूरी नहीं कि इन को समझ न आए, लिहाज़ा कम अज़ कम शरई तफ़्तीश ज़रूर करवानी चाहिये। फिर येह लोग जो मक़ाला लिखते हैं आ़म तौ़र पर दुन्यावी मौज़ूअ़ पर होता है और इन के लिये आ़फ़ियत भी इसी में है क्यूं कि किसी दीनी मौज़ूअ़ पर लिखेंगे तो मुम्किन है कि बहुत सी ग़लति़यां कर बैठें।

(निगराने शूरा ने बताया :) येह लोग इस्लामी मौज़ूआ़त पर भी मज़ामीन लिखते हैं।

(इस पर अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने फ़रमाया :) अगर कोई वाक़ेई लिखने का अह्ल है तो वोह लिखे लेकिन लिखने की अहलिय्यत का

कैसे पता चलेगा ? ज़ाहिर है इस के लिये किसी अह्ल या'नी आ़लिमे दीन को अपनी तह़रीर चेक करवानी होगी । उ़मूमन येह लोग किसी को चेक करवाए बग़ैर ख़ुद को अह्ल ही समझ रहे होते हैं जैसे कहते हैं : हम ने कु़रआने पाक पढ़ा हुवा है और रमज़ान शरीफ़ में दो कु़रआने पाक ख़त्म करते हैं । येह लोग समझ रहे होते हैं कि हमें पढ़ना आता है, अगर येही लोग किसी क़ारी को सुनाएं तो क़ारी साहि़ब बताएंगे कि आप को तो "बिस्मिल्लाह" पढ़ना भी नहीं आती, फिर उन की क़ारी साहि़ब से लड़ाई हो जाएगी कि मैं तो इतने अ़र्से से कु़रआन पढ़ रहा हूं और आप कह रहे हैं मुझे "बिस्मिल्लाह" पढ़ना भी नहीं आती । लिहाज़ा जब तक किसी आ़लिमे दीन से चेक नहीं करवाएंगे तब तक किसी भी ग़लती का मा'लूम नहीं होगा । मैं अपने तजरिबे की बुन्याद पर कहता हूं कि 99 फ़ीसद अफ़राद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم" पढ़ना नहीं आती होगी बल्कि मैं ने नोट किया है कि अक्सरिय्यत "बिस्मिल्लाह" भी दुरुस्त नहीं पढ़ती, सूरए फ़ातिह़ा पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है लिहाज़ा सब को सीखना चाहिये । यूं ही जो इस्लामी भाई आर्टीकल लिखते हैं उन के लिये इस में बहुत रिस्क होता है बल्कि दुन्यावी आर्टीकल में भी कम रिस्क नहीं होता है इस में भी कुछ का कुछ लिख जाते हैं ।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/29, 30)

सुवाल : त़ालिबे इ़ल्म को कैसा होना चाहिये ?

जवाब : त़ालिबे इ़ल्म को चाहिये कि अपने मक़्सद "रिज़ाए इलाही के हु़सूल" को हर वक़्त पेशे नज़र रखे, अपना वक़्त बरबाद करने से बचे, अख़्लाक़ दुरुस्त रखे, ज़बान आंख और दिल की हि़फ़ाज़त करे, सुवाल से बचे या'नी लोगों से पैसे न मांगे, अलबत्ता मा'लूमात ह़ासिल करने के लिये अपने उस्ताद से सुवाल कर सकता है, आ़जिज़ी करे या'नी अपने आप को कुछ न समझे, हि़र्से माल से कोसों दूर रहे या'नी पैसों के लालच में न पड़े, इ़ल्म का ह़रीस हो, मुर्शिद,

www.dawateislami.net

असातिज़ा और वालिदैन का अदब करे, अपने मद्रसे के निज़ामुल अवक़ात की पाबन्दी करे, हक़्क़े सोहबत का ख़याल रखे या'नी जो तालिबे इल्म क़रीब बैठता हो उस के हुक़ूक़ का ख़याल रखे कि वोह उस का क़रीबी पड़ोसी है और उस के हुक़ूक़ हैं और क़ियामत के दिन उस से येह सुवाल भी होगा कि अपने पड़ोसी का हक़ अदा किया या ज़ाएअ़ किया ? लिहाज़ा उस के लिये तक्लीफ़ देह न बने बल्कि ज़रूरतन उस की मदद करे जैसा कि पढ़ने पढ़ाने में एक दूसरे की मदद की जाती है। तक्लीफ़ें आएं तो सब्र करे, इबादत का ज़ौक़ रखे या'नी ख़ूब इबादत करे, नेकी की दा'वत भी दिया करे। तालिबे इल्म के लिये येह कुछ मदनी फूल हैं जिन्हें मैं ने मक्तबतुल मदीना की किताब "काम्याब तालिबे इल्म कौन ?[1] से आसान कर के पेश करने की कोशिश की है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/357, 358)

सुवाल : तुलबा का आपस में रहने का अन्दाज़ कैसा होना चाहिये ?

जवाब : आपस में साथ रहने के भी हुक़ूक़ होते हैं जैसा कि "एक मरतबा **अल्लाह** पाक के प्यारे नबी मुहम्मदे अ़रबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم अपने किसी सहाबी رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه के साथ जंगल में तशरीफ़ ले गए, वहां आप ने दो मिस्वाकें काटीं जिन में से एक ख़मदार (या'नी एक तरफ़ झुकी हुई) थी और एक सीधी थी। आप ने सीधी मिस्वाक अपने सहाबी को दे दी जिस पर उन सहाबी رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! सीधी मिस्वाक के मुझ से ज़ियादा हक़दार आप हैं। इर्शाद फ़रमाया : जो शख़्स घड़ी भर भी किसी की सोहबत इख़्तियार करता है तो उस से उस सोहबत के बारे में सुवाल किया जाएगा कि उस ने उस सोहबत में **अल्लाह** पाक का हक़ अदा किया या ज़ाएअ़ कर दिया ?"

1...."काम्याब तालिबे इल्म कौन ?" येह मक्तबतुल मदीना की एक बेहतरीन किताब है।

(تفسیر طبری،85/4،حدیث:9483-احیاء العلوم،218/2) इस हृदीस के तहृत हृज़रते इमाम मुहम्मद गृज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं : "इस फ़रमान से मा'लूम होता है कि सोहृबत में **अल्लाह** पाक का हृक़ "ईसार" है। हृक्क़े सोहृबत हर जगह होता है।" (احیاء العلوم،218/2, एहृयाउल उ़लूम (मुतर्जम), 2/633) मसलन हम बस में सफ़र कर रहे हैं और चन्द मिनट के लिये कोई हमारे साथ बैठा तो उस के लिये भी हृक्क़े सोहृबत होगा। इसी तृरहृ जो तृालिबे इल्म हमारे साथ जामिआ़ में मौजूद है, ख़्वाह वोह हमारे ही दरजे का हो या किसी और दरजे का हो, सब हमारे पड़ोसी हैं और उन सब के हुक़ूक़ भी हैं। हृक्क़े मुस्लिम तो हर किसी के साथ वाबस्ता है फिर चाहे वोह हज़ारों मील दूर हो ! इस लिये हर एक का ख़याल रखना है और अपने अख़्लाक़ दुरुस्त करने हैं।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 9/245, 246)

सुवाल : Students में आ़म तौर पर येह बात राइज है कि एक दूसरे के नोट्स, किताबें, स्टेश्नरी और दीगर चीज़ों का बिला तकल्लुफ़ और बिला इजाज़त इस्ति'माल करते हैं, ऐसा करना कैसा ?

जवाब : Students (या'नी तृलबा) के एक दूसरे की चीज़ें इस्ति'माल करने की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं मसलन ऐसे दो बालिग़ दोस्त जिन का आपस में इस तृरहृ का दोस्ताना है कि एक दूसरे की चीज़ें बिला तकल्लुफ़ इस्ति'माल करते हैं और कोई भी बुरा नहीं मानता तो येह जाइज़ है। अगर ऐसा तअ़ल्लुक़ नहीं और फिर भी बिला इजाज़त एक दूसरे की चीज़ इस तृरहृ इस्ति'माल की, कि उसे कुछ नुक़्सान पहुंचा तो इस्ति'माल करने वाला गुनाहगार होगा। ऐसे मौक़अ़ पर उ़मूमन कह दिया जाता है कि मैं ने नुक़्सान कहां पहुंचाया है ? बस दो पेपर ही तो कॉपी से फाड़े हैं। याद रहे कि येह भी नुक़्सान है। इसी तृरहृ क़लम से लिखा तो कुछ न कुछ क़लम घिसा और उस की Ink (या'नी सियाही) इस्ति'माल

हुई तो येह भी नुक़्सान पहुंचाना ही है। अगर नुक़्सान न भी पहुंचे तब भी बग़ैर इजाज़त दूसरे की चीज़ इस्ति'माल न की जाए कि अगर क़ियामत के रोज़ पकड़ हुई तो क्या बनेगा !!

दूसरों की चीज़ें इस्ति'माल न करने में ही आ़फ़ियत है

बहर ह़ाल आ़फ़ियत इसी में है कि बन्दा अपनी चीज़ ही इस्ति'माल करे। क़रीबी दोस्त की अश्या भी बिला इजाज़त इस्ति'माल न करे और न ही बार बार इस्ति'माल करने के लिये इजाज़त त़लब करे क्यूं कि बहुत से बे तकल्लुफ़ दोस्तों में भी बा'ज़ अवक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं मसलन अगर कोई दोस्त की मोटर साइकिल पंक्चर कर के आ गया या एक्सीडेंट में कुछ नुक़्सान कर दिया तो अब जिस का नुक़्सान हुवा है वोह ख़ुशी से झूमेगा नहीं बल्कि हो सकता है कि वोह त़न्ज़िया जुम्ले कह कर अपने ग़ुस्से का इज़्हार करे कि तुम को सह़ीह़ चलानी नहीं आती, सारा पेट्रोल ख़त्म कर दिया, पता नहीं कहां गए थे ? ब्रेक ख़राब कर दिया था वग़ैरा वग़ैरा।

सुवाल न करने पर बैअ़त

हमारे सह़ाबए किराम رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ शदीद फ़ाक़े बरदाश्त करते लेकिन किसी से सुवाल नहीं करते थे, बिल ख़ुसूस ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ के इस बारे में कई वाक़िआ़त मौजूद हैं। बा'ज़ सह़ाबए किराम رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ ने सरकारे मदीना صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के दस्ते मुबारक पर इस बात पर बैअ़त की थी कि किसी से सुवाल नहीं करेंगे। बैअ़त करने वालों में ह़ज़रते सौबान رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ भी थे, अगर आप رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ सुवारी पर होते और आप رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ का चाबुक (या'नी हन्टर) ज़मीन पर तशरीफ़ ले आता तो आप किसी से न कहते कि "येह उठा

कर दे दो" बल्कि ख़ुद घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाते और ख़ुद उठाते।[1]

(ابن ماجہ، 2/ 401، حدیث: 1837) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/324, 325)

सुवाल : अगर स्कूल बेग में किसी बच्चे की कोई चीज़ आ जाए और पता न हो कि किस की चीज़ है ? तो उस का क्या किया जाए ?

जवाब : जब दूसरे दिन क्लास में जाएं तो पूछ लें कि किसी की कोई चीज़ गुमी है ? अगर कोई कहे कि हां ! मेरी चीज़ गुमी है तो उस से निशानी वग़ैरा पूछ कर उसे दे दें। निशानी वग़ैरा पूछने की ह़ाजत इस लिये है कि अगर कोई चीज़ बच्चों को दिखा कर पूछा जाए कि येह किस की है तो उ़मूमन सभी ना समझ बच्चे उस की त़रफ़ लपकेंगे और बोलेंगे कि मुझे दो मुझे दो। यूं ही बा'ज़ बच्चे अगर्चे समझदार होते हैं लेकिन झूट बोलने के आ़दी होते हैं तो वोह भी झूट बोलते हुए कह देंगे कि येह चीज़ मेरी है, इस लिये अगर दिखाए बग़ैर, चीज़ और उस की निशानी पूछ ली जाएगी तो जिस की है उसे मिल जाएगी। येह भी किया जा सकता है कि अपने उस्ताद को वोह चीज़ दे दी जाए और बता दिया जाए कि किसी की येह चीज़ मेरे बेग में आ गई थी, अब वोह हिक्मते अ़मली से जिस की है उस तक पहुंचा देंगे। बहर ह़ाल ! बेग में किसी की चीज़ आ जाए तो उसे रखने या इस्ति'माल करने की इजाज़त नहीं है बल्कि जिस की है उस को वापस करनी होगी। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/458)

सुवाल : क्या मा'लूमाती प्रोग्राम्ज़ देखने से आदमी आ़लिम बन सकता है ?

जवाब : देखने से कोई कुछ नहीं बनता, नफ़्सियात की किताबें गधे पर लाद

1.. इसी त़रह़ की एक और ह़दीसे पाक के तह़त मश्हूर मुफ़स्सिर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : ज़ाहिर येह है कि येह हुक्म उन ही के लिये ख़ास था वरना गिरा हुवा कोड़ा किसी से उठवा लेना ना जाइज़ नहीं।

(मिरआतुल मनाजीह़, 3/68)

दो तो वोह माहिरे नफ़्सियात नहीं बन जाता। इल्म ह़ासिल करने से आ़लिम बना जाता है।

आ़लिम वोह शख़्स होता है जो आ़लिम की शराइत़ पर पूरा उतरे मसलन तमाम अ़क़ाइद से वाक़िफ़ हो और उस पर मुस्तक़िल हो, ज़रूरी मसाइल का इल्म रखता हो, अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकालने की सलाह़िय्यत हो। (अह़कामे शरीअ़त, स. 231, ह़िस्सा : 2) येह अलग बात है कि किसी और से निकलवा ले लेकिन सलाह़िय्यत रखता हो। अब चाहे येह इल्म उस्ताद के ज़रीए़ ह़ासिल करे, किसी से सुन कर ह़ासिल करे, किताबें पढ़ कर ह़ासिल करे, मा'लूमाती सिल्सिले देख कर ह़ासिल करे या किसी और ज़रीए़ से ह़ासिल करे, जब इस को आ़लिम की ता'रीफ़ के मुत़ाबिक़ इल्म ह़ासिल हो जाएगा तो येह आ़लिम बन जाएगा। आ'ला ह़ज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : सनद कोई चीज़ नहीं इल्म होना चाहिये।

(फ़तावा रज़विय्या, 23/783) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/387)

सुवाल : क्या दौराने ता'लीम कोई हुनर मसलन कम्पयूटर डिज़ाइनिंग या कम्पोज़िंग वग़ैरा भी सीख लेना चाहिये ?

जवाब : हुनर और इल्म दोनों होने चाहिएं, लेकिन याद रहे ! इस इल्म से मुराद इल्मे दीन है या'नी सब से पहले फ़र्ज़ उ़लूम और अपने ज़रूरी अ़क़ाइद सीखे, इस के बा'द ज़रूरतन उ़लूमे आलिया मसलन मुख़्तलिफ़ ज़बानें वग़ैरा सीखे, नीज़ हुनर और जिस से हुनर सीख रहा है उस से सीखना जाइज़ हो, वरना हुनर तो सूद का भी सीखा जाता है ! (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/421)

सुवाल : दीनी तृलबा को इबादत के ह़वाले से कैसा होना चाहिये ?

जवाब : आज कल आ़म तौ़र पर तृलबा को इल्म ह़ासिल करने के लिये जो

वक़्त देना होता है उस में भी बेचारे पीछे रह जाते हैं। तृलबा फ़ारिग़ अवक़ात में होटलों और कबाब समोसों की दुकानों पर मिलेंगे या चोपाल बना कर गपें मारते हुए नज़र आएंगे, अलबत्ता उन में से जो पढ़ने के शौक़ीन होंगे उन के पास हर वक़्त किताब होगी और जहां उन्हें दो मिनट फ़ारिग़ मिलेंगे वोह किताब खोल कर पढ़ना शुरूअ़ कर देंगे। मैं ने बा'ज़ तृलबा को देखा है कि जब दीगर तृलबा बातें कर के शोर मचा रहे होते हैं तो वोह उन से बे नियाज़ हो कर किताब पढ़ने में मसरूफ़ होते हैं मगर ऐसों के बारे में यूं कहा जा सकता है कि लाखों में कोई ताृलिबे इ़ल्म ऐसा होता है। अगर कोई **अल्लाह** पाक की रिज़ा पाने के लिये इ़ल्मे दीन ह़ासिल करने में मुन्हमिक और मश्ग़ूल रहता है तो बेशक येह आ'ला दरजे की इ़बादत है, ताहम उसे फ़राइज़ में कोताही नहीं करनी और नमाज़ भी बा जमाअ़त पढ़नी है बल्कि **अल्लाह** पाक तौफ़ीक़ दे तो नवाफ़िल भी पढ़ने हैं।[1] **अल्लाह** पाक को अपने बन्दे की कौन सी अदा पसन्द आ जाए या उस की ख़ुफ़्या तदबीर क्या है ? इस बारे में हमें कुछ पता नहीं, लिहाज़ा हो सकता है कि हमारा इ़ल्मे दीन पढ़ना पढ़ाना क़बूल न हो क्यूं कि पढ़ने पढ़ाने में बे शुमार ख़त़रात होते हैं। बहर ह़ाल ह़स्बे ज़रूरत इ़ल्मे दीन ह़ासिल करना ज़रूरी है और हमें फ़र्ज़ उ़लूम ह़ासिल करने ही करने हैं लेकिन इस से ज़ाइद

1... ह़ज़रते अबू बक्र कत्तानी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ ने ह़ज़रते जुनैद बग़दादी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ को ख़्वाब में देख कर पूछा : **अल्लाह** पाक ने आप के साथ क्या मुआ़मला किया ? फ़रमाया : तह़रीरात और ह़वाला जात किसी काम न आए, काम्याबी उन दो रक्अ़तों की बदौलत मिली जो रात की तारीकी में उठ कर पढ़ा करता था।

(احیاء العلوم،265/5, एह़याउल उ़लूम (मुतर्जम), 5/658)

इल्म ह़ासिल कर के आ़लिम बनना फ़र्ज़े ऐ़न नहीं है मगर इस के बे शुमार फ़ज़ाइल हैं तो इस मन्ज़िल को भी इख़्लास के साथ ही पाना चाहिये ताहम येह मन्ज़िल बहुत कठिन है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/358, 359)

सुवाल : मद्रसतुल मदीना में त़ालिबे इल्म जो खाना ले कर आता है अगर छुट्टी हो जाए और वोह खाना छोड़ कर चला जाए और डर भी हो कि खाना ख़राब हो जाएगा या उस पर च्यूंटियां आ जाएंगी तो क्या उसे खाने की इजाज़त है ?

जवाब : अगर फ़्रीज (Fridge) है तो खाना उस में भी रखा जा सकता है। उ़मूमन सभी त़लबा का बायोडेटा (Biodata) और घर का फ़ोन नम्बर वग़ैरा तो होता ही है, इस लिये अगर येह मा'लूम हो जाए कि टिफ़िन (Tiffin) किस का है ? तो फ़ोन कर के पूछा जा सकता है कि इस खाने का क्या किया जाए ? हो सकता है कि वोह इजाज़त दे दें तो फिर जो चाहे करें। आज कल तो वैसे भी खाना फेंकने का कल्चर (Culture) इतना बढ़ गया है कि ख़ुदा की पनाह ! यूं भी होता होगा कि किसी के हाथ में खाना आया तो वोह सुस्ती कर जाता होगा या अन्दाज़ा लगा कर कहता होगा कि येह खाना तो फेंकने वाला है, ह़ालां कि वोह फेंकने वाला नहीं होता होगा। बहर ह़ाल ! जो ख़ौफ़े ख़ुदा रखने वाला होगा वोह फ़ैसला कर लेगा कि इस खाने का क्या करना चाहिये।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/215)

सुवाल : बा'ज़ त़लबा मद्रसे की डेस्कों पर लिखते हैं, ऐसा करना कैसा ?

जवाब : वक़्फ़ की डेस्कों पर नहीं लिख सकते। बा'ज़ त़लबा डेस्कों पर ऐसा गाढ़ा कर के लिखते हैं जो मिटाया भी नहीं जा सकता ह़ालां कि येह मद्रसे की डेस्क है। अगर त़ालिबे इल्म के वालिद ने भी येह डेस्क दी होती तब भी इस

पर लिखने की इजाज़त नहीं थी।

(फ़तावा रज़विय्या, 9/451 माख़ूज़न) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/487, 488)

सुवाल : बा'ज़ तालिबे इल्म ता'लीम में कमज़ोर होते हैं तो पढ़ाई के शौक़ के लिये कुछ मदनी फूल बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब : दुन्यावी ता'लीम के लिये सारे ही कोशिशें कर रहे हैं। मीडिया, घर और मुआशरा सब ही दुन्यावी ता'लीम के पीछे हैं, इस के साथ भारी फ़ीसें भी अदा कर रहे हैं, महंगी महंगी किताबें ख़रीद रहे हैं, बा'ज़ तो पढ़ने के लिये बैरून ममालिक भी जाते हैं। बहर हाल दीनी ता'लीम के हवाले से काफ़ी कमज़ोरी है हालां कि दीनी ता'लीम हासिल करने वालों को खाना और रिहाइश वग़ैरा सब मुफ़्त दिया जाता है इस के बा वुजूद इस तरफ़ लोग नहीं आते। यूं समझिये कि 100 में से 99 फ़ीसद लोग दुन्यावी ता'लीम की तरफ़ जाते हैं और एक फ़ीसद बल्कि इस से भी कम दीन की तरफ़ आते हैं। शायद एक हज़ार में से कोई एक दीनी ता'लीम की तरफ़ आता होगा।

हुसूले इल्म पर बयान कर्दा फ़ज़ाइल सिर्फ़ दीनी इल्म के लिये हैं

अहादीसे मुबारका में हुसूले इल्म के जितने भी फ़ज़ाइल बयान किये गए हैं वोह सब के सब दीनी ता'लीम के लिये हैं। ज़ाहिर है इल्मे दीन के ज़रीए ही **अल्लाह** पाक, नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم और फ़रिश्तों के बारे में अ़क़ाइद मा'लूम होंगे, इसी के ज़रीए जन्नत और दोज़ख़ के मुतअ़ल्लिक़ अ़क़ाइद का इल्म होगा बल्कि इस्लाम के तमाम बुन्यादी अ़क़ाइद इल्मे दीन से ही पता चलेंगे, इस के इलावा बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ इल्मे दीन से ही हासिल होंगी। सिर्फ़

दुन्यावी ता'लीम ह़ासिल करने वालों को येह सारी मा'लूमात कहां होती हैं बल्कि इन के टीचर्ज़ को भी येह मा'लूमात नहीं होंगी लिहाज़ा इ़ल्मे दीन ह़ासिल किया जाए। जब दीन के बारे में काफ़ी इ़ल्म ह़ासिल हो जाए फिर दुन्यावी ता'लीम की त़रफ़ आया जाए लेकिन फ़ी ज़माना सारा निज़ाम ही उलटा हो गया है वरना दौरे सह़ाबा में मुसल्मान अपने बच्चों को सूरए मुल्क याद करवाते और क़ब्र के सुवालात व जवाबात सिखाते थे लेकिन अब तो ख़ुद मां बाप को येह चीज़ें मा'लूम नहीं होतीं, वोह बच्चों को क्या सिखाएंगे !! न मां बाप को इस का इ़ल्म है न नाना नानी को न दादा दादी को बल्कि अब तो तसव्वुर नहीं रहा कि येह चीज़ें भी किसी को आती हों, न त़ालिबे इ़ल्म इस बारे में कुछ मा'लूमात रखता है न टीचर न लेक्चरार न प्रोफ़ेसर न डॉक्टर न मरीज़ तो कौन किस को सिखाएगा ? ह़ालां कि येह चीज़ें हर मुसल्मान को आनी चाहिएं लेकिन अ़ाम तौ़र पर मुसल्मानों को सह़ीह़ मुसल्मान के मा'ना भी मा'लूम नहीं होते, येह तो **अल्लाह** पाक का करम है कि हम मुसल्मान घराने में पैदा हुए वरना पता नहीं क्या होता !!

हो सकता है किसी को मेरी बातें बुरी लगें और वोह कहे कि दुन्या चांद पर पहुंच गई है और मौलाना येह क्या बातें ले कर बैठा हुवा है ? ऐसी सोच वालों से येही कहा जाएगा कि मैं मुसल्मान से बात कर रहा हूं। نَعُوْذُ بِاللّٰه ! अगर तुम्हें इस्लाम से प्यार नहीं तो मैं तुम से कुछ कह भी नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि किसी भी मुसल्मान को मेरी येह बातें बुरी नहीं लगेंगी क्यूं कि मैं ने अपनी ज़ात के लिये बात नहीं की बल्कि मुसल्मानों की आख़िरत की बेहतरी के लिये बात की है, लिहाज़ा बुरा मानने के बजाए ख़ुश होना चाहिये कि आप को कोई बता तो रहा है कि कल आख़िरत में क्या चीज़ काम आएगी। याद

रखिये ! इस्लाम इन्सान को दुन्यावी ता'लीम या मुआमलात से मन्अ़ नहीं करता बशर्ते कि वोह शरीअ़त के दाएरे में रहते हुए हों लिहाज़ा ह़लाल रोज़ी कमाई जाए। मां बाप, बाल बच्चों की ख़िदमत की जाए और अपने रहन सहन और गि़ज़ा के लवाज़िमात भी किये जाएं। हर चीज़ का एक दाइरए कार है और हमें शरीअ़त के दाएरे से बाहर नहीं निकलना। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/34, 36)

सुवाल : मौजूदा दौर में लोगों में दीनी या दुन्यावी उ़लूम का शौक़ आप ने कितना पाया ?(1)

जवाब : दौराने मदनी मुज़ाकरा मस्जिद में A.C चल रहा होता है और यूं इ़ल्मे दीन सीखने के लिये सहूलत दी जाती है लेकिन इस के बा वुजूद बहुत थोड़े लोग आते हैं और अगर इस की जगह कोचिंग सेन्टर, ट्यूटर या दुन्यावी ता'लीम का कोई इदारा होता और वहां किसी नामी गिरामी प्रोफ़ेसर ने लेक्चर देना होता तो बहुत से लोग जम्अ़ हो जाते बल्कि लोग पैसे दे कर ऐसों के लेक्चर सुनते हैं। ऐसे लेक्चरार भी हैं जिन के लेक्चरों का इन्इ़क़ाद होटलों में होता है और सेंकड़ों नहीं हज़ारों रुपे का एक आदमी का टिकट होता है लेकिन फिर भी लोग पैसे दे कर उन का लेक्चर सुनते हैं जब कि इ़ल्मे दीन मुफ़्त और सहूलतों के साथ सिखाया जाता है बल्कि बा'ज़ जगह पर तो खाना भी खिलाया जाता है मगर अफ़्सोस फिर भी हमारा इस त़रफ़ रुज्ह़ान कम है। तीन दिन के क़ाफ़िले में सफ़र के लिये बहुत मिन्नतें करना पड़ती हैं और हाथ पाउं जोड़ने पड़ते हैं और अगर तीन दिन की पिकनिक का मुआ़मला हो तो अपने पल्ले से पैसे दे कर

---

(1) ... येह सुवाल शो'बए मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत ने क़ाइम किया है जब कि जवाब अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का अ़ता किया हुवा है।

जाते हैं। गर्मियों में कितने ही अफ़राद अपने ख़र्चे पर दरियाओं, नहरों और समुन्दर की त़रफ़ पिकनिक के लिये जाते हैं और बा'ज़ बेचारे डूब कर मौत का शिकार भी हो जाते हैं। पिकनिक के लिये ऐसा तसव्वुर नहीं होता कि हमें कोई मुफ़्त में ले जाए जब कि **अल्लाह** पाक का दीन सीखने के लिये हमें मुफ़्त में खाना पीना और रिहाइश चाहिये होती है और फिर इस के बा वुजूद हमारे हज़ार नख़्रे होते हैं। **अल्लाह** पाक हमें अपने दीन का इ़ल्म ह़ासिल करने का शौक़ और जज़्बा अ़ता फ़रमाए। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/503, 504)

सुवाल : क्या दर्से निज़ामी करना आ़लिम होने के लिये शर्त़ है ?[1]

जवाब : दर्से निज़ामी करना आ़लिम होने के लिये न तो शर्त़ है और न ही काफ़ी है, अलबत्ता आ़लिम बनने का बेहतरीन ज़रीआ़ ज़रुर है। जिस ने दर्से निज़ामी की सनद ह़ासिल कर ली अब वोह पूरा आ़लिम भी बन गया हो येह ज़रूरी नहीं क्यूं कि 100 फ़ीसद फ़र्ज़ उ़लूम दर्से निज़ामी में नहीं पढ़ाए जाते, नीज़ अब दर्से निज़ामी या'नी आ़लिम कोर्स सिमटता चला जा रहा है ह़ालां कि एक दौर में येही आ़लिम कोर्स ग़ालिबन 16 साल में हुवा करता था, फिर कम होते होते 10 साल पर आया और फिर आठ साल का हुवा और इस्लामी बहनों का पांच साल का हो चुका है। याद रखिये ! दर्से निज़ामी को मजबूरी के त़ौर पर समेटा गया है क्यूं कि इतने अ़र्से के लिये लोग आते ही नहीं। दर्से निज़ामी से कई किताबें निकाल दी गई हैं यहां तक कि फ़ारसी ज़बान जिसे पहले दर्से निज़ामी का लाज़िमी जुज़ समझा जाता था उसे भी निकाल दिया गया। यूं बहुत

---

1 ... येह सुवाल शो'बए मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत ने क़ाइम किया है जब कि जवाब अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का अ़ता किया हुवा है।

सी चीज़ें निकाली गई हैं ताकि किसी बहाने लोग दर्स निज़ामी करने की त़रफ़ राग़िब हों कि न करने से करना करोड़ दरजे बेहतर है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/359)

सुवाल : क्या "दौरए ह़दीस" इल्मे दीन ह़ासिल करने का आख़िरी साल है ?

जवाब : दौरए ह़दीस शरीफ़ को इल्म ह़ासिल करने का पहला साल कहना चाहिये क्यूं कि इन्सान पिंघोड़े (झूले) से ले कर क़ब्र तक त़ालिबे इल्म ही रहता है। दौरए ह़दीस वाले अपने गुमान में येह समझ रहे होते हैं कि येह अ़ल्लामतुद्दह्र (या'नी ज़माने के बहुत बड़े आ़लिम) बन गए हैं, बल्कि लोग इन्हें अभी से "अ़ल्लामा" बोलते भी होंगे, ह़ालां कि इल्म ह़ासिल करने का सिल्सिला अभी ख़त्म नहीं हुवा, आप ने आगे मज़ीद कोर्सिज़ करने हैं, अगर तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह (या'नी मुफ़्ती कोर्स) में दाख़िला मिले तो ज़रूर लेना चाहिये, **अल्लाह** करे आप सब मुफ़्ती हो जाएं, लेकिन इस लालच में दाख़िला नहीं लेना कि मुझे मुफ़्ती का टाइटल मिल जाए, बल्कि **अल्लाह** की रिज़ा के लिये इल्मे दीन ह़ासिल करते रहें और आगे बढ़ते रहें, **अल्लाह** पाक वोह अ़त़ा करेगा जो तसव्वुर में भी नहीं होगा। "जिस का इल्म हो बे ग़रज़ उस की जज़ा कुछ और है।" तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह करने से अपनी इ़बा'दत में काफ़ी दुरुस्ती आएगी, दीनी मसाइल में मज़बूत़ी बढ़ेगी और इस के इ़लावा भी बे शुमार फ़वाइद ह़ासिल होंगे।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 9/248)

सुवाल : क्या हर एक को तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह, तख़स्सुस फ़िल ह़दीस या दीगर तख़स्सुसात की त़रफ़ बढ़ना चाहिये ?

जवाब : हर एक तख़स्सुस नहीं कर सकता। बा'ज़ों के घर में मसाइल भी होते हैं, ताहम कोशिश करने वालों में सब का नाम होना चाहिये। जैसे वोह वाक़िआ़

है कि एक बुढ़िया हृज़रते सय्यिदुना यूसुफ़ عَلَيْهِ السَّلَام के ख़रीदारों में नाम लिखवाने के लिये गई थी। (تفسیر روح البیان، 177/1) इसी तृरह सब कोशिश करें और अपने घर वालों का ज़ेहन बनाएं। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 9/248, 249)

सुवाल : मेडीकल के तृलबा को प्रेक्टीकल के लिये बहुत सारे मरीज़ों का इ़लाज बग़ैर किसी तनख़्वाह के करना पड़ता है, क्या वोह इस में अच्छी निय्यतें कर सकते हैं ?

जवाब : जो प्रेक्टीकल के लिये बग़ैर तनख़्वाह के इ़लाज कर रहे होते हैं उन को चाहिये मरीज़ को दवा के पैसे भी दें, ज़ाहिर है येह अपने मत़लब के लिये ही कर रहे होते हैं, मरीज़ों की ख़िदमत मक़्सूद नहीं होती बल्कि डिग्री मक़्सूद होती है कि बस येह हाथ में आ जाए। बहर ह़ाल अगर कोई ख़ौफ़े ख़ुदा वाला है, अच्छी अच्छी निय्यतें करता है और इस के साथ साथ ऐसी रिआ़यतें भी करता है जो आ़म तौर पर नहीं की जातीं तो अच्छी निय्यत का सवाब मिलेगा बशर्ते़ कि वोह निय्यत का कोई मौक़अ़ मह़ल भी हो और कोई शरई ख़राबी न हो, वरना इन कामों में शरई ख़राबियां बहुत होती हैं।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/386, 387)

सुवाल : क़ुरआने पाक पढ़ने वाला बच्चा अगर छुट्टी करे, अपनी पढ़ाई पर तवज्जोह देने के बजाए ला परवाही बरते तो इस सूरत में क़ारी साहि़ब को उस के साथ कैसा अन्दाज़ इख़्तियार करना चाहिये ? क्या वोह उसे मारपीट सकते हैं ?

जवाब : शरीअ़त के दाएरे में ही रहना होगा। हमारे मदारिसुल मदीना में मारना तो बहुत दूर की बात है हाथ तक लगाना मन्अ़ है और डन्डी रखने की तो

बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है। क़ारी साहिबान को चाहिये वोह इन बच्चों को शफ़्क़त और प्यार से पढ़ाएं ज़रूरतन डांटा जाए और इस में चीख़ो पुकार और घटिया अल्फ़ाज़ इस्ति'माल न किये जाएं बल्कि हिक्मते अ़मली के साथ डराया जाए।

बच्चों को सज़ा देने का त़रीक़ा

हमारे यहां मदारिसुल मदीना में पहले येह तरकीब थी कि त़ालिबे इ़ल्म को हाथ ऊंचे करवा कर खड़ा कर दिया जाता, थोड़ी ही देर में उस को पता लग जाता था। येह सज़ा भी ज़ियादा देर तक नहीं देनी चाहिये कि बच्चों के हाथ में ही दर्द हो जाए बल्कि मुनासिब वक़्त तक हो जैसे हाथ उठवा कर कहा जाए कि 111 तक गिनती गिनो। यूं न मार पिटाई हुई और न कोई नुक़्सान। मार पिटाई से कोई फ़ाएदा नहीं होता बल्कि हो सकता है बच्चा मज़ीद ढीट और अपने क़ारी साहिब ही से बदज़न हो जाए। जो वालिदैन भी बच्चों को मारते हैं उन के बच्चे ढीट हो जाते हैं। स्कूल टीचरों के ऐसे वाक़िआ़त हुए हैं कि किसी टीचर ने त़ालिबे इ़ल्म को मारा पीटा तो उस त़ालिबे इ़ल्म ने इन्तिक़ाम लेने के लिये अपने दोस्तों के साथ मिल कर उस टीचर की ठुकाई लगा दी। अब भी शायद इस त़रह़ के वाक़िआ़त होते होंगे बल्कि हो सकता है पहले से ज़ियादा हो गए हों क्यूं कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर मारने के त़रीक़े भी सिखाए जाते होंगे।

मारपीट की दुन्या भर में बदनामी है, अगर कोई मुसल्मान या आ़लिमे दीन बल्कि कोई दाढ़ी वाला भी मार पिटाई करेगा तो मज़्हबी त़बक़े की बदनामी होगी और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया पर इस

तृरह् की बातें फैलाना शुरूअ् कर देते हैं। फिर ग़ैर मुस्लिम भी इस का ग़लत् तअस्सुर देते हैं कि इस्लाम में मारधाड़ है ह़ालां कि इस्लाम में तो च्यूंटी पर भी जुल्म का तसव्वुर नहीं है। (ابن ماجہ، 3/578، حدیث:3223ماخوذاً) इस के बा वुजूद अगर कोई मुसल्मान मारधाड़ करता है तो येह उस का Personal Matter (या'नी ज़ाती मस्अला) है। इस्लाम ने इस को मारधाड़ की इजाज़त नहीं दी लिहाज़ा जो भी इस अन्दाज़ से मारधाड़ करता है वोह ग़लत् है। इस्लाम में नरमी, प्यार और हुस्ने अख़्लाक़ का दर्स दिया जाता है, **अल्लाह** करे येह सब को नसीब हो जाए। किसी के बच्चे को मारते वक़्त अपना बच्चा याद आना चाहिये कि मेरे बच्चे को कोई मारे तो मैं बरदाश्त कर सकूंगा ? येह हभी तो किसी का बच्चा है, मैं इस को मारूंगा तो क्या इस के मां बाप इस को देख सकेंगे ? (मल्फूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/473, 475)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

अगले हफ़्ते का रिसाला